भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2631

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

अनर्जक ऋण अनुपात

2631. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों मे दर्ज देश के अनर्जक ऋण अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में सार्वजनिक तथा निजी दोनों बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में से अशोध्य ऋणों में परिवर्तित हुए ऋणों का अनुपात क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत राजकोषीय वर्ष में सार्वजनिक तथा निजी दोनों बैंकों द्वारा संचित दबावग्रस्त ऋण की राशि का ब्यौरा क्या है तथा बैंकों के पुनर्पुंजीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) के दौरान सकल अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) और सकल अग्रिमों का अनुपात निम्नलिखित है:

निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार	**बैंक समूह**	**सकल एनपीए और कुल अग्रिमों का अनुपात (%)**
31.3.2024	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	3.5
	निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी)	1.9
	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)	2.8
31.3.2025	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2.6
	निजी क्षेत्र के बैंक	1.8
	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	2.2
31.3.2026*	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	1.9
	निजी क्षेत्र के बैंक	1.5
	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1.7

** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई आंकड़े अनंतिम है, एससीबी के आंकड़े में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक शामिल नहीं हैं।*

(ख): भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि संवितरण की तिथि के आधार पर बैंकों द्वारा दिए गए उन ऋणों के संबंध में आंकड़े जो अशोध्य ऋण बन गए हैं उपलब्ध नहीं है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़े के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एनपीए में नए संचयन की बैंक-समूह-वार राशि निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	एनपीए में नया संचयन		
	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26*
पीएसबी	92,327	89,886	79,174
पीवीबी	1,15,468	1,20,980	1,22,913
एससीबी	2,18,404	2,30,856	2,22,397

** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई आंकड़े अनंतिम है,, एससीबी के आंकड़े में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक शामिल नहीं हैं।*

(ग): आरबीआई ने अवगत कराया है कि किसी विशिष्ट अवधि के दौरान संचित तनावग्रस्त ऋण की राशि का विवरण इसके पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि, आरबीआई के अनंतिम आंकड़े के अनुसार, दिनांक 31.3.2026 की स्थिति के अनुसार, बैंक-समूह-वार तनावग्रस्त अग्रिमों, अर्थात पुनर्गठित मानक अग्रिमों सहित सकल एनपीए की राशि निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	तनावग्रस्त अग्रिम (सकल एनपीए + पुनर्गठित मानक अग्रिम)
पीएसबी	3,29,054
पीवीबी	1,41,795
एससीबी	4,85,815

एससीबी के आंकड़े में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक शामिल नहीं हैं।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 से सरकार द्वारा पीएसबी में कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया है। सरकार ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि पुनर्पूंजीकरण एक अस्थायी उपाय है जिसका उद्देश्य पीएसबी को वित्तीय स्थिति को सुधारना करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे आरबीआई द्वारा अनिवार्य विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण के साथ-साथ सुधार भी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पीएसबी का विलय और समेकन, गैर-कोर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, ईज़ (एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस) एजेंडे के अंतर्गत व्यापक सुधार, परिचालन दक्षता में सुधार के उद्देश्य से अन्य अभिशासन/संरचनात्मक पहल, बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाएं और पीएसबी में बेहतर ऋण अनुशासन शामिल हैं। इनकी मदद से, पिछले कुछ वर्षों में पीएसबी ने अपने वित्तीय निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार किया है और मजबूत पूंजी स्थिति के साथ लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है। पीएसबी अब अपनी पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार के स्रोतों और आंतरिक उपार्जन पर पर निर्भर हो रहे हैं।
